4.	रेकार्डर/वितरण सहायक ——————— दिवचर्यालिपिक/अभिलेखवाह	निबंधक ———— अवर सचिव (स्थापना)	अपर/विशेष/सचिव अपर/विशेष/सचिव (जिस विभाग में सचिव पदस्थापित नहीं हो) उस विभाग में स्थापना के प्रभारी अपर या विशेष सचिव ।
5.	टंकक अधीक्षक	निबंधक ———— अवर सचिव (स्थापना)	अपर/विशेष/सचिव जिस विभाग में सचिव पदस्थापित नहीं हों उस विभाग में स्थापना के प्रभारी अपर या विशेष सचिव)
6.	प्रधान टंकक/टंकक	टंकक अधीक्षक ———— निबंधक	अवर सचिव (स्थापना)
7.	लेखापाल/रोकड़पाल/विपत्र लिपिक/ट्रेजरी सरकार	प्रशाखा पदाधिकारी (लेखा) ———— निबंधक (लेखा शाखा के प्रभारी)	अवर सचिव/उप/संयुक्त सचिव (प्रभारी लेखा) ———— अपर/विशेष/सचिव (जिस विभाग में सचिव पदस्थापित नहीं हों उस विभाग में लेखा के प्रभारी अपर या विशेष सचिव)

——————

प्रशाखा पदाधिकारी

संकल्प संख्या 3सीएस०/3आर-1-202/68—2540, दिनांक 31 मई 1968 श्री श्रीधर वासुदेव सोहनी, मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, बिहार सरकार द्वारा प्रेषित ।

विषय—सचिवालय के प्रशाखा-प्रधानों एवं उसी वेतनमान के समकक्ष अनुसचिवीय पदों को राजपत्रित बनाना और फलस्वरूप विभिन्न पदों का नया नामकरण।

सचिवालय तथा संलग्न एवं संबंधित कार्यालयों में प्रशाखा प्रधानों का पद 355—580 रु० के वेतनमान में है। सरकार के समकक्ष जितने विषय आते हैं उसकी छानबीन करने में प्रशाखा प्रधान महत्त्वपूर्ण काम करते हैं । इन्हें अपनी प्रशाखा के सभी संबंधित नियमों, अधिनियमों आदि की जानकारी रखनी पड़ती है। इसलिए उनका काम महत्त्वपूर्ण होने के साथ-साथ गुरुतर भी है । उनके वेतनमान के कई अन्य पद पहले से ही राजपत्रित हैं। इसलिए प्रशाखा प्रधानों की ओर से कई बार मांग की गई है कि उनके पदों को भी राजपत्रित कर दिया जाय ।

2. इस विषय की विस्तृत जाँच कराकर सरकार ने यह निर्णय लिया है कि सचिवालय तथा संलग्न एवं संबंधित कार्यालयों में प्रशाखा प्रधानों एवं उसी वेतनमान के समकक्ष अनुसचिवीय पदों को यथाप्रवर कोटि (1) के आशुलिपिकों, विधान-मंडल के रिपोर्टर, उच्च न्यायालय के जजमेंट रायटर, विधि विभाग के वरीय विधि सहायक (वर्ग 1) उसी वेतमान के अनुवादक आदि पदों को दिनांक 1 जून 1968 से राजपत्रित घोषित कर दिया जाय । प्रशाखा प्रधान का पदनाम प्रशाखा पदाधिकारी तथा प्रवर कोटि (1) के आशुलिपिकों का पदनाम वरीय निजी सहायक कर दिया जाय । रिपोर्टर, जजमेंट रायटर, वरीय विधि सहायक आदि का पदनाम पूर्ववत् रहे । लेकिन सचिवालय के सभी वर्ग 1 के आशुलिपिकों का पदनाम निजी सहायक होगा ।

3. प्रवर कोटि के आशुलिपिकों का पदनाम वरीय निजी सहायक तथा वर्ग 1 के आशुलिपिकों का पदनाम निजी सहायक के होने के फलस्वरूप उन कार्यालयों में कठिनाई होगी जहाँ पहले से ही निजी सहायक की संज्ञा के वरीय पद सृजित हैं (जैसे आयुक्त के निजी सहायक आदि) वैसे पदों का पदनाम, विभागीय मंत्री तथा मुख्य सचिव के माध्यम से मुख्य मंत्री की स्वीकृति प्राप्त कर तुरत बदल दिया जाय।

4. राजपत्रित किये जानेवाले पदों का वेतनमान 355—580 रु० है। इन राजपत्रित पदों के लिए अन्य सुविधाएँ उपलब्ध हैं जैसे प्रेरणा भत्ता, बच्चों के लिए शिक्षावृत्ति तथा सरकारी गल्ले का अधिकतर राशन। राजपत्रित हो जाने से ये सुविधाएँ उपलब्ध नहीं रहेंगी। फिर चूँकि राजपत्रित होने से इन पदों का कार्यभार गुरुतर हो जायगा। अतः यह निर्णय लिया गया है कि इन राजपत्रित पदों का वेतनमान 290—15—380—द० रो—15—500—20—540—द० रो०—20—600—25—650 रु०—(न्यूनतम वेतन 365 रु०) रहेगा तथा इन पदों के वर्त्तमान पदधारकों का वेतन अराजपत्रित पदों से राजपत्रित पदों में उत्क्रमित होने से फलस्वरूप नये वेतनमान में वेतन निर्धारण के साधारण नियमों के अनुसार निर्धारित होगा। भविष्य में इन पदों पर जिनकी प्रोन्नति होगी उनका वेतन निर्धारण भी साधारण नियमों के अनुसार होगा।

5. राजपत्रित हो जाने के बाद भी यदि बिहार सेवा-संहिता के नियम 82 के अनुसार कोई वर्त्तमान पदधारक अराजपत्रित पद पर ही वर्त्तनान वेतनमान में रहना चाहे तो उनकी सेवा अवधि काल तक, वर्त्तमान वेतनमान में अराजपत्रित ही रहेगा।

6. सरकार ने यह निर्णय लिया है कि राजपत्रित घोषित किये जाने के बाद भी इन पदों पर नियुक्ति/प्रोन्नति देने के मामले में जो नियुक्ति पदाधिकारी अभी हैं वे ही रहेंगे, सरकार नहीं। इसलिए नियुक्ति/प्रोन्नति देने के पहले लोक-सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं होगा और छोटी-छोटी अवधि के लिए पूर्ववत् प्रोन्नति दी जाती रहेगी।

7. इस संकल्प के आधार पर प्रशाखा प्रधानों आदि की सहमति प्राप्त कर तथा वित्त विभाग की पूर्व सहमति से भिन्न-भिन्न पदों को राजपत्रित किए जाने का तथा उसपर व्यक्ति विशेष की नियुक्ति का आदेश संबंधित विभाग महालेखापाल को वित्त विभाग के माध्यम से भेज देंगे। उन राज्यादेशों के आधार पर महालेखापाल वेतन का प्राधिकार पत्र निर्गत करेंगे। उन सभी पदाधिकारियों की सेवा पुस्तिकायें बनवाकर रखेंगे।

आदेश—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रतियाँ राजपत्र में जनसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित की जायँ।

2. यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति सरकार के सभी सचिव/सचिवालय से संलग्न सभी विभागाध्यक्ष/निबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/महालेखापाल, बिहार, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रसारित की जाय।

पत्र सं० ओ० एम०/पी०-01/69—364, दिनांक 7 अगस्त 1969, श्री सच्चिदानन्द सिंह, मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय (संघटन एवं पद्धति प्रशाखा), बिहार द्वारा सरकार के सभी विभागों एवं सचिवालय एवं सचिवालय के संलग्न एवं संबंधित कार्यालयों को प्रेषित।

विषय—प्रशाखा पदाधिकारियों का कर्त्तव्य निर्धारण।

मंत्रिमंडल सचिवालय के संकल्प संख्या 2540, दिनांक 31 मई 1968 द्वारा प्रशाखा प्रधान को उत्क्रमित कर प्रशाखा पदाधिकारी की संज्ञा दी गई तथा उनका वेतनमान 290—650 रु० (न्यूनतम वेतन 365 रु०) किया गया। उनके नये उत्क्रमित पद पर प्रशाखा पदाधिकारी के कर्त्तव्य के संबंध में सरकार द्वारा विचार किया गया है तथा यह निर्णय हुआ है कि सचिवालय अनुदेश द्वारा निर्धारित प्रशाखा प्रमुख के कर्त्तव्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित कार्य भी प्रशाखा पदाधिकारी द्वारा किये जायेंगे :—

"(क) सभी लम्बित संचिकाओं की सूची (संचिका जो बाहर भेजी गयी हो तथा एक महीने के अन्दर निष्पादित होकर नहीं आयी हो) प्रशाखा पदाधिकारी हर महीने के आरम्भ में अपनी देख-रेख में बनवायेंगे तथा अवर-सचिव के माध्यम से उपस्थापित कर आवश्यक कार्रवाई करेंगे, जिससे संचिका के निष्पादन में शीघ्रता आ सके।

(ख) प्रशाखा पदाधिकारी पत्र-प्राप्ति की स्वीकृति-सूचना भेजेंगे।"